प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **10/2026** (अपील सूचना का अधिकार)
छगनलाल चन्देल पुत्र देवकिशन चन्देल पताः अम्बिका चौक, जलचक्की, तहसील–कांकरोली, राजसमन्द

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कुराबड़, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 02/02/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/10/26/08–09 दिनांक 05.01.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कुराबड़ द्वारा जरिये पत्रांकः सू.अ.अ./2026/126 दिनांक 29.01.2026 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दो आवेदन दिनांक 27.11.2025 को तहसील कार्यालय कुराबड़ में रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त हुए थे। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में क्रम संख्या 1 से 3 की सूचना चाही गई थी तथा दूसरे आवेदन पत्र में क्रम संख्या 1 से 5 की सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना तैयार कर प्रतिलिपि शुल्क राजकोष में जमा कर प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ.अ./2025/1094 दिनांक 19.12.2025 से जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपीलार्थी को भिजवा दी गई। अपीलार्थी द्वारा आदिंनाक तक प्रतिलिपी शुल्क राजकोष में जमा करा कार्यालय हाजा से सूचना प्राप्त नहीं की गई है। अतः उक्त परिपेक्ष्य में अपील निरस्त योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कुराबड़ द्वारा अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 1094 दिनांक 19.12.2025 से सूचना से संबंधित वांछित शुल्क जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित शुल्क जमा नहीं कराये जाने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कुराबड़ द्वारा न्यायालय में प्रेषित प्रत्युत्तर के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गयी है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब/सूचना से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02-02-2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर